प्रेस नोट

दिनांक 18.03.2025

थाना जरिया पुलिस व आबकारी टीम के संयुक्त प्रयास से अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण, बिक्री व संचालन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम आज दिनांक 18.03.2025 को थाना जरिया पुलिस व आबकारी टीम के संयुक्त प्रयास से एक नफर अभियुक्त जुगल किशोर उर्फ कल्लू पुत्र खरेचन्द्र निवासी ग्राम अलकछवा थाना जरिया जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 38 वर्ष) को अभियुक्त के बाडे के अन्दर लगे जामुन के पेड के नीचे बहद ग्राम अलकछवा से अवैध शराब बनाते हुये पकडा गया तथा मौके से 30 लीटर कच्ची शराब महुआ व शराब बनाने का उपकरण बरामद किया गया तथा मौके पर ही 1.5 कुन्तल (150 kg) लहन को नष्ट किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 38/2025 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

नाम व पता अभियुक्त-

अभियुक्त जुगल किशोर उर्फ कल्लू पुत्र खरेचन्द्र(उम्र करीब 38 वर्ष) निवासी ग्राम अलकछवा थाना जरिया जनपद

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्त के कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ व शराब बनाने के उपकरण तथा 1.5 कुन्तल (150 kg) लहन का बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.आब0 निरी0 कुलदीप सिंह

2.उ0नि0 रोहित यादव

3.उ0नि0 दिलीप श्रीवास्तव

4.हे0का0 शिवेन्द्र सिंह

5. म0का0 वन्दना यादव